संख्या-929/53-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ०प्र०/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उत्तर प्रदेश ।

2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः23 अक्टूबर, 2024

विषय- 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के अन्तर्गत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु "मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, जिसके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन क्षेत्र का योगदान 29.3 प्रतिशत है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.35 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। यद्यपि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की दुग्ध उत्पादकता 3.78 लीटर प्रतिदिन है, जबकि पंजाब में 8.68 लीटर, हरियाणा में 6.83 लीटर एवं राजस्थान में 5.91 लीटर है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त दुधारू पशुओं की कमी है। अतः आवश्यकता है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं वातावरण के दृष्टिगत पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की अधिक से अधिक इकाइयाँ स्थापित की जाय। स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि करने,

डेयरी कार्य को उद्यमिता से जोड़ने, सीमांत एवं लघु कृषकों/पशुपालकों को डेयरी उद्यमिता की ओर उन्मुख करने हेतु प्रदेश में नवीन, परिष्कृत एवं उच्च तकनीकी आधारित हाईटेक डेयरीज स्थापित किये जाने के उद्देश्य से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" का संचालन किया जा रहा है। योजना का सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम प्रसार सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों वाली इकाईयों की स्थापना हेतु नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत **"मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"** के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के पत्रांक-120/एस0पी0एम0यू0/नन्दिनी मिनी(61)/2024-25, दिनांक 09 अक्टूबर 2024 व पत्रांक-237/एस0पी0एम0यू0/नन्दिनी मिनी(61)/2024-25, दिनांक 17 अक्टूबर 2024 के क्रम में एवं पशुधन विभाग, उ0प्र0 तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त अनुवर्ती प्रस्तरों में दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

3- योजना का मुख्य उद्देश्यः

(i) प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाये रखना।

(ii) स्वदेशी गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

(iii) प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त स्वदेशी उन्नत नस्ल के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(v) पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।

4- योजना का स्वरूपः

(i) मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा।

(ii) परियोजनान्तर्गत गिर, साहीवाल व थारपारकर स्वदेशी उन्नत नस्ल की 10 गायों की इकाई स्थापित की जायेगी। परियोजना की प्रति इकाई कुल अनुमानित लागत रू0 23.60 लाख होगी।

(iii) परियोजना की कुल अनुमानित लागत साहीवाल, गिर एवं थारपारकर नस्ल की गायों का प्रति गाय मूल्य रूपये एक लाख के आधार पर आगणित है।

(iv) चयनित लाभार्थी द्वारा मिश्रित रूप से साहीवाल, गिर एवं थारपारकर नस्ल की गायों का क्रय किया जा सकता है।

(v) कैटिल शेड/आधारभूत संरचना का निमार्ण मानकीकृत डिजाइन(संलग्नक-1) के अनुरूप किया जायेगा, जिसमें कैटिल शेड के छत के निर्माण में पफ पैनल(Puf Panel) का

उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इस पर आने वाला अतिरिक्त व्ययभार लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(vi) परियोजनान्तर्गत निर्धारित नस्ल से पृथक किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी परियोजना में निर्धारित नस्ल से पृथक किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मिलित किया जाता है तो ऐसी परियोजना को संतृप्त नहीं माना जायेगा तथा अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(vii) परियोजना अंतर्गत निहित उद्देश्यों/मानकों को पूर्ण करने पर लाभार्थियों को प्रति इकाई परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 11.80 लाख की सीमा तक अनुदान 02 समान किश्तों में देय होगा।

(viii) परियोजना में आकलित वित्तीय उपाशय जिसमें गोवंश का क्रय एवं अवस्थापना पर व्यय सम्मिलित है, का विवरण संलग्नक-2 व संलग्नक-3 के अनुसार है।

5- लाभार्थी पात्रताः

(i) लाभार्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए।

(ii) लाभार्थी का आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र होना चाहिए।

(iii) गौ-पालन अथवा महिष-पालन का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए तथा इसका प्रमाण-पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा संबन्धित ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न किया जायेगा।

(iv) इकाई स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड़ (8712 वर्ग फुट) भूमि उपलब्ध हो।

(v) इसके अतिरिक्त लगभग 0.80 एकड़ (34848 वर्ग फुट) भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक/साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षो के लिए पंजीकृत अनुबन्ध/किराए नामे पर ली गयी हो तथा भूमि परियोजनान्तर्गत चारा उत्पादन के अनुकूल हो। जल भराव वाली तथा उसर भूमि जो चारा उत्पादन के अनुकूल न हो अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु अथवा नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

6-आवेदन प्रक्रियाः

आवेदन करने हेतु एक माह का समय प्रदान करते हुए प्रदेश स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल/बेवसाइट के साथ-साथ मिशन के पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगा।

योजनान्तर्गत समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-4) पर नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर ऑनलाईन किये जायेगें, परन्तु जब तक मिशन का पोर्टल आनलाइन नहीं होता

है तब तक पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाइन मॉड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किये जायेगें।

7- लाभार्थी चयन प्रक्रिया:

लाभार्थियों का चयन आवेदन हेतु निर्धारित अवधि में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मॉड से प्राप्त उपयुक्त आवेदन-पत्रों से किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा ई-लाटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा। जनपद स्तरीय चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	संयोजक सचिव
3. लीड बैंक ऑफिसर	सदस्य
4. उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य

8- स्थलीय सत्यापन:

(i) सत्यापन समिति- स्थापित इकाइयों के स्थलीय सत्यापन हेतु गठित सत्यापन समिति में सम्बन्धित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी तथा पशुधन प्रसार अधिकारी होगें।

(ii) उक्त सत्यापन समिति द्वारा इकाईयों का सत्यापन विभिन्न चरणों के पूर्ण होने पर किया जाएगा तथा इसकी आख्या/रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्नक-7 एवं संलग्नक-8 पर प्रस्तुत की जायेगी।

9- वित्त-पोषण:

(i) इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश, बैंक द्वारा ऋण तथा अनुदान परियोजना लागत का क्रमशः 15 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगा।

(ii) बैंक ऋण हेतु धनराशि, अवधि इत्यादि सम्बन्धी निर्णय लाभार्थी द्वारा स्वयं लिया जायेगा तथा इसकी प्रक्रिया लाभार्थी के द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

(iii) अनुदान की धनराशि इकाई लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 11.80 लाख (रूपये ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र) होगी, जो दो चरणों(02 समान किश्तों) में देय होगी।

(iii) परियोजनान्तर्गत व्यय का आंकलन बाजार भाव के अनुमान पर आधारित है। अतः परियोजना लागत में किसी भी मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय को लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, परन्तु अनुदानित धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 11.80 लाख तक सीमित होगी।

(iv) परियोजना के अंतर्गत दर्शाए गए उपकरण/संयंत्र इत्यादि पशुपालक/लाभार्थी के पास पूर्व से ही उपलब्ध होने की दशा में उनके उपार्जन की बाध्यता नहीं होगी, परन्तु उन उपकरणों/सयंत्रों हेतु योजना में दर्शाए गए मूल्य को योजना की धनराशि के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा इसके फलस्वरूप योजना लागत में आई कुल कमी के आधार पर ही अनुदान हेतु देय धनराशि का आंकलन किया जायेगा तथा तदनुसार ही अनुदान की धनराशि देय होगी।

10- अनुदान वितरण की प्रक्रियाः

(i) प्रथम चरण में परियोजनान्तर्गत आधारभूत संरचना तैयार होने के पश्चात अनुदान की धनराशि(योजना की लागत का 25 प्रतिशत) प्राप्त किये जाने हेतु लाभार्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-5) पर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सत्यापन समिति द्वारा परियोजना/इकाई का स्थलीय सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-7) पर अपनी रिपोर्ट/संस्तुति दी जायेगी। सत्यापन समिति की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में अवमुक्त किया जायेगा।

(ii) द्वितीय चरण में परियोजनान्तर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के नियमानुसार क्रय किये जाने के पश्चात अनुदान की धनराशि(योजना की लागत का 25 प्रतिशत) प्राप्त किये जाने हेतु लाभार्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-6) पर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सत्यापन समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-8) पर अपनी रिपोर्ट/संस्तुति दी जायेगी। सत्यापन समिति की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में अवमुक्त किया जायेगा।

11- गाय की क्रय प्रक्रिया एवं मानदण्डः

(i) गायों का क्रय प्रदेश के बाहर से तथा यथासंभव उस नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट से ही किया जायेगा।

(ii) क्रय की गयी गायों का संक्रामक बीमारी यथा खुरपका मुँहपका, एच०एस०(गला घोंटू) लम्पी डिसीज के सापेक्ष टीकाकरण अनिवार्य है।

(iii) गायों की इयर टैगिंग होना अनिवार्य है।

(iv) क्रय की गयी समस्त गायों का तीन वर्षों का एकमुश्त बीमा कराया जाना अनिवार्य है।

(v) क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक द्वारा इकाई स्थापित करने के स्थान तक गाय को लाये जाने हेतु पशु ट्रांजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा।

(vi) इयर टैगिंग सहित गाय की क्रय रसीद/रवन्ना होना अनिवार्य है।

(vii) क्रय किये जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की होनी चाहिए तथा एक ब्यात चक्र में न्यूनतम 3000 लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय ही अनुमन्य होगी।

(viii) क्रय की जाने वाली गायें डेढ़ माह से अधिक समय से ब्यायी न हो।

(ix) गायें रोग मुक्त एवं स्वस्थ्य होनी चाहिये।

12- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:

(i) विकास खण्ड स्तर- संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं पशुचिकित्साधिकारी द्वारा इकाई की स्थापना होने पर प्रथम तीन माह में प्रतिमाह संयुक्त स्थलीय सत्यापन किया जायेगा तथा रिपोर्ट मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। इसके पश्चात प्रति तीन माह पर सत्यापन किया जायेगा।

(ii) जनपद स्तर- जनपद स्तरीय समिति(मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, लीड बैंक मैनेजर एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी) द्वारा कुल स्थापित इकाईयों में से कम से कम 20 प्रतिशत इकाईयों का त्रैमासिक आधार पर स्थलीय सत्यापन किया जायेगा तथा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

विभिन्न स्तरों से प्राप्त स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संकलित सूचना के साथ योजना की उपादेयता पर स्पष्ट सुझाव आदि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को ससमय प्रेषित किया जायेगा।

(iii) मुख्यालय स्तर- योजना की उपादेयता पर जनपद स्तर से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन/टिप्पणी/संस्तुति/सुझाव के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से परीक्षणोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही हेतु संस्तुति मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रेषित की जायेगी।

13- विवाद निस्तारण:

यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

14- मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण:

- जनपद स्तर से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को प्रत्येक माह की 3 तारीख को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-9) पर प्रेषित किया जायेगा।

- पशुपालन निदेशालय स्तर पर नन्द बाबा मिशन सेल द्वारा जनपद स्तर से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा/परीक्षण कर योजना की प्रगति, उपादेयता, सफलता की कहानियों के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं से मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में "मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 22-10-2024 21:15:55

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-929(1)/53-2-2024, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।